"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20 01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2008—श्रावण 3, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 1-1/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

भाग दो के नियम 7 के सरल क्रमांक (बत्तीस) के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(तैंतीस) किसी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क/वन जीव अभयारण्य घोषित किये जाने वाले मामले."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 1-1/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/08/1/एक, दि. 10-07-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 10th July 2008

No. F 1-1/2008/1/One.—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to make the following amendment in the Chhattisgarh Government Rule of Business, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After serial number (xxxii) of rule 7 of Part-II the following serial number shall be added, namely :—

"(xxxiii) Cases relating to declaring any forest area as National Park/Wild Life sanctuary."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIWASTAVA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 02-07-2008 से 03-07-2008 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से., महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर को दिनांक 26-06-2008 से 28-06-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रे. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/41/2004/1/2.—श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 21-07-2008 से 26-07-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 27 जुलाई, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डे, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्रमांक 821/579/2008/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, वन एवं कृषि विभाग को दिनांक 19-6-2008 से 28-6-2008 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर को अपर मुख्य सचिव, वन एवं कृषि विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपर मुख्य सचिव, वन एवं कृषि विभाग के स्टाफ आफिसर पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2008

क्रमांक 823/655/2008/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग को दिनांक 7-7-2008 से 18-7-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्र सिंह, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2008

क्रमांक/1424/एफ 7-7/32/08.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत बालोद, विकास योजना 2021 का अनुमोदन करती है. उक्त विकास योजना अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

बालोद विकास योजना 2021 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ. ग.)
2. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बालोद
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बालोद (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की उपधारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से बालोद विकास योजना 2021 प्रभावशील होगी.

Raipur, the 11th July 2008

No. 1424/F 7-7/32/08.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattigarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the State Government hereby accord approval to the Balod Development Plan, 2021 submitted by Directorate Town & country Planning , Raipur under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

The copy of the approved Balod Development Plan 2021 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Sub Division Officer (Revenue), Balod (C. G.)

2. Dy. Director, Town & country Planning, Durg (C. G.)
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council Balod (C. G.)

The Balod Development Plan 2021 shall come into operation from the date of publicatoin of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2008

क्रमांक/1427/एफ 7-6/32/08.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कवर्धा, विकास योजना 2021 का अनुमोदन करती है. उक्त विकास योजना अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

कवर्धा विकास योजना 2021 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव (छ. ग.)
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, कवर्धा (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की उपधारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से कवर्धा विकास योजना 2021 प्रभावशील होगी.

Raipur, the 11th July 2008

No. 1427/F 7-6/32/08.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattigarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the State Government hereby accord approval to the Kawardha Development Plan, 2021 submitted by Directorate Town & country Planning , Raipur under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

The copy of the approved Kawardha Development Plan 2021 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Collector, District Kabirdham (C. G.)
2. Asstt. Director, Town & Country Planning Rajnandgaon (C. G.)
3. Chief Municipal Officer, Minicipal Council Kawardha (C. G.)

The Kawardha Development Plan 2021 shall come into operation from the date of publicatoin of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2008

क्रमांक 1416/13/2/उवि/अधिसूचना/08.—चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2004-2009 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

अतएवं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. X सन् 1949) की धारा 3 (बी.) द्वारा प्रदन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 3000/13/उवि/अधिसूचना/05, दिनांक 03-11-2005 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले केवल नवीन उद्योगों को (विद्यमान इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को छोड़कर) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से निर्दिष्ट अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है. पूर्व में जारी संदर्भित अधिसूचना तथा औद्योगिक नीति 2004-2009 में विसंगतियां पायी गई है. अत: औद्योगिक नीति 2004-2009 में विद्युत शुल्क में छूट हेतु प्रावधानित निर्दिष्ट प्रोत्साहनों के अनुरूप रखने हेतु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 03-11-2005 में संशोधन आवश्यक है.

अत: यह अधिसूचना पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 3000/13/उवि/अधिसूचना/05 दिनांक 03-11-2005 को अधिक्रमित कर जारी की जा रही है. तदानुसार निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार विभिन्न श्रेणी के नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से उनके समक्ष दर्शाये गये निर्दिष्ट अवधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है :—

क- **लघु उद्योग**

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट. 2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

ख- **वृहद-मध्यम**

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

ग **मेगा प्रोजेक्ट**

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी ब-अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं को विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी.

राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत यदि किसी निवेशक द्वारा जिन्होंने दिनांक 1-11-04 के पूर्व उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित प्रभावी कदम उठा लिये गये हों अर्थात्

(i) उद्योग हेतु भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया हो.

(ii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार शेड भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया हो, तथा

(iii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी हेतु पक्का क्रय आदेश जारी कर दिया हो.

ऐसे निवेशकों के समक्ष निम्न दो विकल्प रहेंगे :—

विकल्प-अ— औद्योगिक नीति वर्ष 2001-06 के अधीन ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं यथा क्र. 2348-49, 2350-51, 2352-53 दिनांक 21-6-02, क्रमांक 2370-71 दिनांक 25-6-02 तथा क्रमांक 3313-14 दिनांक 18-8-2003 के अंतर्गत पात्रता अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी सुविधा प्राप्त की जा सकती है.

विकल्प-ब—निवेशक द्वारा दिनांक 1-11-2004 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने की स्थिति में औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत विद्युत शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है.

निवेशक को विकल्प-अ अथवा विकल्प-ब के अंतर्गत छूट के लाभ हेतु औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा, उद्योगों के संवर्ग एवं उद्योगों के नवीन होने तथा विद्यमान औद्योगिक इकाई विस्तार इकाई न होने आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र सहित, विद्युत शुल्क में छूट हेतु आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा. उद्योग विभाग द्वारा अनुशंसित आवेदन पर विचारोपरांत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा.

ऐसे उद्योगों/निवेशकों के मामले में जिन्हें पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत अथवा औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा दी जा चुकी है, को निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट यथावत मिलती रहेगी. लेकिन पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे सभी उद्योगों/निवेशकों पर औद्योगिक नीति 2004-09 में सम्मिलित विद्युत शुल्क में छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक इकाई में स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबंधी प्रावधानों को संतुष्ट करने का दायित्व निवेशक पर होगा एवं संबंधित जिले के कलेक्टर से इस हेतु प्रमाण-पत्र निवेशक को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा. औद्योगिक नीति में परिभाषित किसी भी शर्त के उल्लंघन के पाये जाने पर छूट की पात्रता स्वत: समाप्त हो जायेगी एवं रियायत के एवज में हुए लाभ की वसूली भू-राजस्व बकाया की वसूली हेतु लागू प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी. विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता के संबंध में ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

अधिसूचना भूतलक्षीय दिनांक 1-11-2004 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 10-2/2008/16 ए.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-28-31-96-सोलह-ए, दिनांक 15 मार्च 1998 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा द्वारा निर्देश देता है कि स्थानीय क्षेत्र में जहां उक्त अधिनियम लागू हैं, में कोई भी दुकान या वाणिज्यिक स्थापना किसी भी दिन—

(क) प्रात: 7.00 बजे के पूर्व नहीं खोली जावेगी.

(ख) रात्रि 10.00 बजे के बाद खुली नहीं रहेगी.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 10-2/2008/16 ए.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के उपबंध जो नीचे दी गई सूची के स्तम्भ कालम (2) में उल्लेखित उक्त अधिनियम के उपबंध स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट, निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त सूची के कालम (1) में यथा विनिर्दिष्ट स्थापनाओं को लागू नहीं होंगे,—

सूची

क्र.	स्थापना	धारा	निबंध तथा शर्तें	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	किराना दुकानें	धारा 9, धारा 13 (1)	1. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जावेगी.	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
2.	शैक्षणिक सामग्री की दुकानें		2. किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जावेगा.	
3.	स्पोर्ट्स सामग्री की दुकानें		3. महिला कर्मचारी को रात्रि में 9.00 बजे पश्चात् नियोजित नहीं किया जावेगा.	
4.	दैनंदनी उपयोग सामग्री की दुकानें.		4. कोई भी संस्थान रात्रि के 12.00 बजे पश्चात् तथा प्रात: 5.00 बजे पूर्व खुला नहीं रहना चाहिए.	
5.	पैथॉलाजी सेन्टर्स			
6.	कृषि/उद्यानिकी उपकरण, मशीनें, बीज कीटनाशक की दुकानें.			
7.	ट्रेव्हल्स एजेंसीज			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2008

क्रमांक 23/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सेन्दरी	0.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 2, बिलासपुर.	सेन्दरी से रमतला पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2008

क्रमांक 24/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पतईडीह	1.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	पतईडीह-जैतपुरी मनवा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भेलवाटिकरा प. ह. नं. 15	3.581	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	सेड़ल-II एवं पुनर्वास स्थल तक सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरलिया प. ह. नं. 15	4.927	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	सेड़ल-II एवं पुनर्वास स्थल तक सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेलीपाली प. ह. नं. 26	1.759	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	तेलीपाली जलाशय योजनांतर्गत नहर भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प. ह. नं. 15	28.347	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	पुनर्वास स्थल हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 जुलाई 2008

क्रमांक/6694/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरमरा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
834/2	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीशंकर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
851/5	0.097
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बम्हनीडीह, पोड़ीशंकर, कपिस्दा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 मई 2008

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बनियाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
598/1	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एम. जी. आँर. रेल पथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक/6714/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सिमकेंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-50.68 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
317/1	0.69
262/2	0.10
317/2	0.56
262/3	0.09
318, 320/3	0.02
259/1	0.70
240/2, 241/5	0.42
20	0.54
247	0.30
6	0.64
12/1	0.02
12/2	0.91
12/3	0.91
12/4	0.94
261/1	0.15
261/2	0.16
261/3	0.16
271/1	0.35
271/2	0.34

(1)	(2)
271/3	0.35
275	0.08
315	0.74
235/4, 244/1	0.98
251/2	0.04
252/1	0.28
253/3	0.10
250/1	0.14
253/4	0.74
254	0.90
255/4	0.20
314, 320/2	0.10
273/1	0.38
272/2	0.08
13	0.74
98	0.44
267	0.92
273/3	0.35
274	0.12
272/3	0.35
272/4	0.26
14/4	0.20
272/5	0.60
7/1	0.38
272/6	0.20
263/1	0.15
264/1	0.08
7/2	0.37
263/2	0.15
264/2	0.08
272/9	0.20
7/3	0.37
263/4	0.16
264/4	0.07
272/10	0.20
7/4 ख	0.38
263/3	0.16
264/3	0.07
272/11	0.20
4/3	1.26
14/5	1.73
14/6	0.68
270/1	0.43
248/1	2.45
249/1	0.05
270/2	0.69
266	0.48
265	0.42
260	0.46
262/1	0.19
241/2	0.35
242/2	0.50
253/2	1.16
10	1.08
248/3	0.66
249/3	0.10
259/2	0.10
246/3	0.08
248/2	0.05
249/1	0.30
5	0.76
250/2	0.03
251/1	1.43
252/2	0.04
255/5	0.11
248/4	1.00
249/2	0.02
246/1	0.30
246/2	1.02
246/4	0.90
21	1.00
242/3	0.18
245/1	0.44
14/7	0.42
18/3	0.77
299/2	0.21
18/4	1.19
299/3	0.21
4/1	0.82
235/8	0.01
4/2	0.67
235/2, 242/1	1.20
1/2	0.80
11	0.86
14/10	0.87
14/11	0.87
19	0.20
22	0.50

	(1)	(2)
	23	0.28
	235/3, 243/1	0.04
योग	97	50.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक/6715/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-खूंटाकूड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	364/2	0.48
	364/1, 367/2	1.70
	363	0.08
	362	0.20
	365	0.20
	366	0.03
	361	0.39
	360	0.10
योग	8	3.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवापारा जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक/6716/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	687/5	3.00
योग	1	3.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवापारा जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्र./प्र.-1/अ. वि. अ./08/1141.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसबोड़, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.70 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	611/1	0.04
	662/2	0.16
	611/2	0.14
	664/1	0.12
	660	0.11
	664/2	0.34
	661/2	0.09
	663/2	0.42
	668/2	0.07
	612/1	0.41
	665	0.23
	667/1	0.26
	699	0.37
	668/1	0.22
	667/2	0.25
	698	0.30
	700	0.17
योग	17	3.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्र./प्र.-1/अ. वि. अ./1142/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-कंडरका, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 डिस.

	खसरा नम्बर	रकबा (डिसमिल में)
	(1)	(2)
	168	0.22
योग	1	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्र./प्र.-1/अ. वि. अ./1143/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सुरहोली, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.467 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
460	0.064
460	0.024
460	0.008
460	0.048
460	0.056
435	0.036
460	0.132
460	0.020
460	0.048
460	0.031
योग 10	0.467

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्र./प्र.-1/अ. वि. अ./1144/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बेरलाकलां, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
304/3	0.50
264/1	0.20
121	0.12
36	0.01
45	0.13
34/2	0.18
50	0.09
योग 7	1.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्र./प्र.-1/अ. वि. अ./1145/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-गुधेली, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1684/1	0.11
1671	0.12
1686	0.16
1396	0.25
1382/1	0.23
1703	0.21
1670	0.04
1710	0.06
1654	0.05

	(1)	(2)
	1634	0.02
	1645	0.07
	1753	0.04
योग	12	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्र./प्र.-1/अ. वि. अ./1146/08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगारडीह, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	138	0.30
योग	1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जुलाई 2008

क्रमांक/1152/प्र.-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
249/1	0.10
250	0.48
251	0.01
334	0.28
367	0.20
610/2	0.28
252	0.14
253	0.14
255/1	0.16
257	0.16
256	0.04
529	0.34
715/4	0.08
258	0.16
549/9	0.18
558/2	0.10
377	0.18
559	0.10
260	0.08
261/2	0.08
262/1-2	0.10
298	0.06
310	0.22
364	0.02
299	0.34

(1)	(2)
335	0.04
368	0.02
363/2	0.10
528	0.04
537/2	0.30
539/1	0.30
365	0.08
609	0.56
366	0.08
792/4	0.04
357	0.15
557/1	0.12
548/1	0.24
548/2	0.24
548/6	0.22
554	0.35
552	0.14
358	0.03
योग 43	7.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

औद्योगिक न्यायालय के खण्डपीठों के निर्माण नियम—2008

क्रमांक/1325.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (अधिनियम क्र. 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए औद्योगिक न्यायालय, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. ये नियम "औद्योगिक न्यायालय के शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग नियम, 2008 कहलायेंगी."

2. ये नियम 31-03-2008 से प्रवृत्त होंगे.

3. (1) ये नियम जब तक विषय/संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंधी अधिनियम, 1960 (अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1960);

(ख) "खण्डपीठ" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन गठित खण्डपीठ ;

(ग) "न्यायालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित अनुसार औद्योगिक न्यायालय ;

(घ) "विषयवस्तु" से अभिप्रेत है, सिविल अपील, विविध सिविल प्रकरण, अपराधिक अपील, विविध अपराधिक प्रकरण, विविध आवेदन याचिका तथा प्रकरण के जोड़े गये अथवा संशोधित स्तर के प्रकरण ;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, औद्योगिक न्यायालय के सदस्य जज तथा जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित हैं ;

(च) "पक्षकार" से अभिप्रेत है, जो पक्षकार किसी मामले में अथवा इंटर विनर, जिसे अनुज्ञात किया गया है ;

(छ) "याचिका" से अभिप्रेत है, अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन न्यायालय को प्रस्तुत कोई याचिका ;

(ज) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष तथा जिसमें प्रभारी अध्यक्ष सम्मिलित है ;

(झ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है का अर्थ वही होगा जो संबंधित अधिनियमों के अधीन उनके लिए निर्धारित है.

4. अध्यक्ष, एक या अधिक सदस्यों के साथ खण्डपीठ का गठन किसी भी प्रस्तुत विषयवस्तु को विनिश्चय करने हेतु अथवा न्यायालय को संदर्भित और इस प्रकार गठित खण्डपीठ, न्यायालय में निहित अधिकारिता तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा.

5. निम्नलिखित विषयवस्तु दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी खण्डपीठ द्वारा सामान्यत: समावेदन अथवा अंतिम प्रक्रम में सुनी तथा निपटारा की जायेगी :—

(एक) जहां 3 माह का कारावास या अधिक या बिना जुर्माना के दण्ड पारित किया गया हो वहां अधिनियम की धारा 65 (ख) की अवधि में पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपील;

(दो) अधिनियम की धारा 64 (2) सहपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (3) की शर्तों में न्यायालय के इजाजत के साथ ग्रहण करने योग्य दोषमुक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 65 (ग) की शर्तों में राज्य सरकार द्वारा अपील;

(तीन) अपील के ज्ञापन में प्रार्थना अनुसार 3 महीने की अवधि का कारावास अथवा अधिक के साथ अथवा बिना जुर्माना, हेतु अधिनियम की धारा 65 (घ) की शर्तों में दण्ड की वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा अपील;

(चार) विधिक बिन्दु आधारित संदर्भ अथवा अधिनियम अथवा अधिनियम की धारा 70 के अधीन नियमों का निर्वचन.

6. जैसे अन्यथा विधि द्वारा उपबंधित के सिवाय या इन नियमों द्वारा या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समस्त विषयों पर सुनवाई एवं निपटारा एकल सदस्य के खण्डपीठ द्वारा किया जायेगा.

7. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लम्बी अवकाश की अवधि में एकल अधोष्टित सदस्य जो अवकाश जज के रूप में होगा औद्योगिक न्यायालय के किसी या समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

8. (एक) एकल आसीन (अधोष्टित) सदस्य अनुशंसा के साथ अध्यक्ष हेतु उसने पूर्व लम्बित किसी कार्यवाही को संदर्भित करेगा, एकल सदस्य से अधिक के खण्डपीठ के समक्ष रखा जाएगा जब विधि संबंधी प्रश्न उद्भूत हो या कठिनाई हो या आवश्यकता हो.

(दो) उपनियम 1 में निर्दिष्ट कार्यवाही में संदर्भित सदस्य प्रश्न तथा प्रश्नों को संदर्भित करेगा या पूछा जा सकेगा कि खण्डपीठ द्वारा कार्यवाही सुनी तथा विनिश्चय की जाये, जिसके लिए निर्दिष्ट है. यदि वह प्रश्न या प्रश्नों को संदर्भित करता है तो वह इसके लिए निर्दिष्ट प्रश्न या प्रश्नों पर खण्डपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही को निपटायेगा.

9. (एक) एकल अधोष्टित सदस्य अनुशंसा के साथ अध्यक्ष को उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को संदर्भित करेगा कि अधिक से अधिक एक सदस्य के खण्डपीठ के समक्ष रखा जाये यदि वह विचार करते हैं कि एकल आसीन सदस्य के औपचारिक विनिश्चय विचारण को शामिल करते हुये कार्यवाही में विनिश्चय करें.

(दो) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया में संदर्भित सदस्य प्रश्न या प्रश्नों को संदर्भित करेगा तथा इसे निर्दिष्ट प्रश्न या प्रश्नों पर खण्डपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही को निपटायेगा.

10. यदि किसी समय अध्यक्ष या सदस्य किन्हीं कारणों से जो भी हो काम करने में असमर्थ हों, तो इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या एकल सदस्य, यथास्थिति को, वे समस्त अधिकार (शक्तियां) निहित होगी जो एक से अधिक सदस्य वाले खण्डपीठ को इन नियमों के अधीन होता है.

11. धारा 71 के अधीन पुनर्विचार हेतु आवेदन सामान्यत: उसी खण्डपीठ के द्वारा निपटाया जाएगा जिसने मूल विषयवस्तु को सुना है, पुनर्विचार चाहा गया है परन्तु तथापि यदि कोई अध्यक्ष अथवा खण्डपीठ के सदस्यों जिसने मूल विषयवस्तु को निपटाया हो, सेवानिवृत्ति द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या अन्यथा न्यायालय का सदस्य या सदस्य न रहा हो, उसका निपटारा ऐसे खण्डपीठ के द्वारा जो उतनी ही संख्या के खण्डपीठ द्वारा जिसने पुनर्विचार हेतु आदेश चाहा हो.

12. अध्यक्ष को सदस्य न्यायाधीशों के मध्य कार्य वितरण करने की शक्तियां होगी तथा यह भी शक्ति होगी कि विधि के अनुसार निपटाये जाने हतु आवेदन को रखे या स्वप्रेरणा से किसी प्रकरण को अंतरण करें.

13. पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपील में, राज्य सरकार अन्यों के अतिरिक्त उत्तरवादी होगी, यदि कोई हो.

14. अधिनियम की धारा 51 के अधीन न्यायालय के संदर्भ में मध्यस्थम अधिनियम 1940 में आगामी सूचित प्रक्रिया के पश्चात् विधि के अधीन अपेक्षित अनुसार मध्यस्थम द्वारा निपटाया जाएगा.

15. यदि सीमा (Limitation) का प्रश्न उद्भूत होता है तो संबंधित न्यायालय, उपस्थिति के प्रश्न पर विचार करने के पहले इसी तरह विनिश्चितता की जायेगी.

16. लंबित विषयवस्तु में खण्डपीठ बिना छुट्टी (अवकाश) पक्षकार के लिए आगामी दिनांक निर्धारित करेगी, इसकी अवधि में विवेक के साथ सूची को अद्यतन करेगा.

औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ का निर्माण नियम 1964 जो 01-08-1964 एवं दिनांक 18-06-2000 प्रभावशील दिनांक 31-03-2008 से निरसित समझे जायेंगे.

Raipur, the 14th July 2008

Exercise of powers and functions of Industrial Court Rules, 2008

No. 1325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Chhattisgarh Industrial ns Act. 1960 (Act No. 27 of 1960) (For short 'the Act'), the Industrial Court for the State of Chhattisgarh, makes the following Rules :—

These rules may be called the exercise of powers and functions of the Industrial Court Rules, 2008

2. These Rules shall come into force on 31-03-2008

3. (1) In these Rules unless the subject or context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (Act No. 27 of 1960);

(b) 'Bench' means a bench constituted under these Rules;

(c) 'Court' means the Industrial Court as constituted under Section 9 of the Act:

(d) 'Matter' means reference, civil appeal, miscellaneous civil cases, criminal appeal, miscellaneous criminal case, miscellaneous applications, petition and added or altered label of case;

(e) 'Member' means a member of the Industrial Court and includes the President;

(f) 'Party' means the party in the aforesaid matters or intervener, if permitted as such;

(g) 'Petition' means any petition made to the Court under the Act or these Rules;

(h) 'President' means the President of the Industrial Court and includes Incharge President;

(i) 'Section' means a section of the Act.

(2) Words and expressions not defined in these Rules shall have the meanings assigned to them under the respective Acts.

4. The President may constitute a Bench of one or more members to decide any of the matters filed in or referred to the Court and the Bench so constituted shall exercise the jurisdiction and the powers vested in the Court.

5. The following matters shall ordinarily be heard at motion or final stage and disposed of by Bench consisting of two or more members :—

(i) Appeal by the person convicted in terms of Section 65 (b) of the Act, where sentence awarded is 3 months' imprisonment or more with or without fine ;

(ii) Appeal by the State Government in terms of Section 65 (c) of the Act against acquittal entertainable with the leave of the Court in terms of Section 64 (2) of the Act read with Section 378 (3) of the Code of Criminal Procedure ;

(iii) Appeal by the State Government for enhancement of the sentence in terms of Section 65 (d) of the Act to a term of 3 months' imprisonment or more with or without fine as prayed in Memorandum o[f] Appeal.

(iv) Reference on point of law or interpretation of the Act or rules under Section 70 of the Act.

6. Save as otherwise provided by law or by these rules or by general or special orders of the President, all ma[tters] shall be heard and disposed of by a Bench of one member.

7. Notwithstanding anything contained in these Rules, a member sitting alone in the long vacation as va[cation] Judge may exercise any or all of the powers of the Industrial Court.

8. (i) A member sitting alone may refer any proceeding pending before him to the President with [a reco]mmendation that it be placed before a Bench of more than one Member when [it] involves a [question] of law or difficulty or importance.

(ii) In the Proceedings referred to in sub-rule (1) the referring member may refer a stated qu[estion or] questions or may ask that the proceedings be herd and decided by the Bench to which it is [referred]. If he refers a stated question or questions he shall dispose of the proceedings in accordance [with the] decision of the Bench on the question or questions referred to it.

9. (i) A member sitting alone may refer any proceeding pending before him to the President with a recommendation that it be placed before a Bench of more than one Member, if he considers that the decision in the proceedings involves reconsideration of a former decision of a member sitting alone.

(ii) In the proceedings referred to in sub-rule (1) the referring member shall refer a stated question or questions and shall dispose of the proceedings in accordance with the decision of the Bench on the question or questions referred to it.

10. If at any time the President or the member is unable to function for any reason whatsoever, then notwithstanding anything contained in these Rule, the President or the member alone, as the case may be, shall have all the powers vested under these Rules in a Bench of more than one member.

11. An application for review under Section 71 shall ordinarily be disposed of by the same Bench which heard the original matter sought to be reviewed, provided, however, that if any member or members of the Bench which

diposed of the original matter has or have ceased to be member or members of the Court, by retirement, transfer or otherwise, it shall be disposed of by a Bench consisting of the same number of members as the Bench which made the order sought to be reviewed i. e., successor.

12. The President shall have powers to distribute the work amongst the Member -Judges and shall have also powers to make over or recall or transfer any case suo moto or on application for disposal in accordance with law.

13. In appeal by a convicted person, The State Government shall be the respondent besides others, if any.

14. References made to the Court under Section 51 of the Act shall be disposed of by arbitration as required under the law after following the procedure indicated in the Arbitration Act, 1940.

15. If the question of limitation arises, the concerning Court shall decide the same before considering the question of admission.

16. Bench in a pending matter shall fix next date for the party without leaving it undated with direction to list in its turn.

17. The Industrial Court Formation of Benches Rules, 1964, effective from 1-8-1964 and Benches Rules, 2000 effective from 18-06-2000 shall stand repealed on 31-03-2008.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 289.— औद्योगिक न्यायालय में लंबित द्वि-सदस्यीय पीठ के द्वारा सुनवाई किये जाने वाले प्रकरण एवं प्रशासनिक कार्यों के निराकरण हेतु सदस्य जज, राज्य औद्योगिक न्यायालय, को मुख्यालय रायपुर में रखा जाना आवश्यक हो गया है.

अत: श्री ए. के. शर्मा, सदस्य जज, कर्त्तव्यस्थ औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ, बिलासपुर का मुख्यालय आगामी आदेश तक रायपुर रहेगा किन्तु वे खण्डपीठ, बिलासपुर में अपीलीय प्रकरणों की सुनवाई का प्रत्येक सप्ताह दो दिवस बिलासपुर कैम्प कोर्ट जाकर वहां के प्रकरणों का निराकरण करेंगे.

शेष दिवसों में वे मुख्यालय में अपना पदेन व अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा समय-समय पर उन्हें प्रेषित/आवंटित न्यायालयीन/प्रशासनिक/विविध कार्य नियम व विधि अनुसार संपादित करेंगे.

दौरे हेतु सदस्य जज, शासकीय वाहन का उपयोग नियमानुसार कर सकते हैं.

यह आदेश दिनांक 01-02-2008 से प्रभावशील होगा.

जी. सी. बाजपेयी,
अध्यक्ष.